

प्रश्न सं. [क. 1549]


परिशिष्ट-

विषय : खाद्यान्न वितरण।

तारांकित प्रश्न क्रमांक : 1549) माननीय श्रीमतीचंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य विधानसभा।

शासकीय उचित मूल्य दुकान, सूरजपुर, डुम्बार एवं भेलसी की जांच में पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	दुकान	जांच में पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	सूरजपुर	दुकान पर कम पाया गया स्टॉक- गेहूं-142.04 क्विंटल; चावल-64.82 क्विंटल; नमक-10.60 क्विंटल; मूंग-1.45 क्विंटल;	समिति प्रबंधक, विक्रेता एवं सहायक विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी; कम पाई गई मात्रा की वसूली की कार्यवाही प्रचलित।
2.	भिलोनी	दुकान पर कम पाया गया स्टॉक- गेहूं-8.31 क्विंटल; नमक-49 किलोग्राम; शक्कर-1 किलोग्राम;	दुकान पर कम पाई गई सामग्री की राशि रु. 35,240 जमा कराई गई।
3.	डुम्बार	दुकान पर कम पाया गया स्टॉक- गेहूं-263.37 क्विंटल; चावल-118.81 क्विंटल; नमक-21.79 क्विंटल; शक्कर-2.72 क्विंटल; मूंग-3.58 क्विंटल;	दुकान को संस्था से पृथक किया गया, कम पाई गई राशन सामग्री की मात्रा की वसूली की कार्यवाही प्रचलित।
4.	भेलसी	दुकान पर कम पाया गया स्टॉक- गेहूं- 8.40 क्विंटल; शक्कर- 1.01 क्विंटल;	दुकान आवंटन प्राधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत, उनके स्तर पर कार्यवाही प्रचलित।
5.	चंदेरी	दुकान पर कम पाया गया स्टॉक- गेहूं- 899.56 क्विंटल; चावल-390.99 क्विंटल; शक्कर- 4.92 क्विंटल; नमक-3.05 क्विंटल; मूंग-7.20 क्विंटल;	कम पाई गई मात्रा की वसूली की गई है। विक्रेता पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
6.	सुजानपुरा, ऐरोरा, कैलपुरा, डारगुवां, कोटरा, सरकनपुर, कछियाखेरा, जटेरा, जीनागढ़, खोरेरा, डूडाखेरा		जांच की कार्यवाही प्रचलित है। जांच में पाई गई स्थिति अनुसार कार्यवाही की जाएगी।


अनुभाग अधिकारी
साघ, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
खंडानंद